न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 56/2019

प्रार्थीगण

1. नगाराम पुत्र रतनाराम जाति सुथार
2. भलाराम पुत्र रतनाराम जाति सुथार
3. गजाराम पुत्र रतनाराम जाति सुथार
4. सोनाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई
5. लादूराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई
6. रामजीवन पुत्र रामचन्द्र विश्नोई
   निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बगताराम पुत्र कोजाराम
   जाति विश्नोई निवासी बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत् लट्ठा ट्रेस की प्रविष्टियां सही करने

उपस्थित :–

1. **श्री नृसिंह सोलंकी वकील प्रार्थीगण**
2. **श्री डालूराम चौधरी वकील विप्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 11.1.2021

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि मौजा गुडा (राजस्व ग्राम बारासण) के मूल खसरा नम्बर 577 रकबा 125 बीघा का खातेदार बागा पुत्र बुदरा के नाम की खातेदारी का आयाहुआ था जिस खसरा नम्बर में से प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पूर्वज रतनाराम व उसके भाई रायमलराम द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 06.07.1963 को 60 बीघा भूमि क्रय की गई जिस क्रय सुदा भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण संख्या 119 के द्वारा भरा जाकर नामान्तरकरण की पुष्त पर क्रय सुदा भूमि का नक्शा भी अंकित कर कब्जा करवाया गया था। मूल खसराजात में शेष रही भूमि 65 बीघा भूमि को विप्रार्थी बगताराम द्वारा मूल खातेदार बगताराम पुत्र बुदराराम से [illegible]का नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 30.06.1965 [illegible] 5 बीघा भूमि पर काबज हुआ। शेष 60 बीघा भूमि पर [illegible] रतनाराम एवं उसका भाई रायमलराम पूर्व से काबिज चले आ रहे थे। उक्त क्रय सुदा भूमि में से प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के वालिद रतन[illegible] के भाई रायमलराम [illegible] अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा एवं प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के वालिद रतनाराम द्वारा अपने 1/2 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा प्रबतिवादी संख्या 4 से 6 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के विक्रय किया गया तब से प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी में काश्त करते आ रहे हैं तथा मौके पर 2/5 हिस्सा पर प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 एवं 3/5 हिस्सा पर प्रार्थीगण संख्या 4 से 6 संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। बाद क्रय विक्रय प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में से 1–18 बीघा आम रास्ता हेतु समर्पित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested

की गई। प्रा[illegible]

रही जिस पर प्रार्थीगण लगातार काबिज चले आ रहे हैं। विप्राथी बहुत ही चालाक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके द्वारा पटवारी हल्का से मिलावट कर प्रार्थीगण को नुकशान पहुंचाने की नीयत से करीब 10 बीघा भूमि को लट्ठा ट्रेस में कम करते हुए प्रार्थीगण के कब्जे वाली भूमि में तरमीम करवादी है। जिससे प्रार्थीगण मूल खसरा नम्बर 577 रकबा 125 बीघा में से क्रय की गई 60 बीघा भूमि के नामान्तरण संख्या 119 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत करना अतिआवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता डालूराम चौधरी उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नामानतरण संख्या 119 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार एवं तहसीलदार गुड़ामालानी की मौका रिर्पोट क्रमांक 3189 दिनंक 25.09.2019 के संलग्न परिशिष्ठ "द" के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने हेतु सहमति दी। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 3189 दिनांक 25.09.2019 द्वारा अवगत कराया है कि खसरा नम्बर 577 विभक्त हो चुका है जो वर्तमान में ग्राम बारासण में स्थित है। मूल खसरा नम्बर 577 रकबा 125 बीघा में से 60 बीघा भूमि रायमलराम, रतनराम पि0 खेता कौम सुथार ने क्रय की थी। जिसका कि मूल राजस्व ग्राम गुड़ामालानी में नामान्तरकरण संख्या 199 के जरिये अमलदरामद हो गया उक्त नामान्तरण के पीछे नजरी तरमीम भी कर दी गई। कालान्तर में उक्त भूमि के आंशिक बेचान से व उत्तराधिकार से वर्तमान में गजाराम नगाराम भलाराम पुत्रान रतनाराम व सोनाराम लादुराम रामजीवन पि0 रामचन्द्र कौम विश्नोई के नाम दर्ज हो गई। और इसी मूल खसरे में से शेष रही भूमि 65 बीघा वगताराम वल्द कोजाराम कौम विश्नोई द्वारा क्रय करने से जरये नामान्तकरण संख्या 192 दर्ज हो गई। इसी दौरान मूल खसरा संख्या 577 की लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं की गई। खातेदार वगताराम वल्द कोजाराम द्वारा उपखण्ड न्यायालय गुड़ामालानी में वाद संख्या 11/16 दायर करवाकर तरमीम करवानी चाही। दिनांक 12.11.2016 को माननीय न्यायालय के निर्णय कर तहसीलदार गुड़ामालानी से प्रस्तावित तरमीम हेतु बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा प्रस्ताव च्चाहा। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 24.04.2017 को पेश किया गया। उक्त प्रस्तावित तरमीम नामान्तरण संख्या 119 की पुश्त पर बने अक्ष के अनुसार ही प्रस्तावित किया गया। दौराने प्रस्ताव रकबा बरारी का ध्यान नहीं रखा गया। जिसके अनुसार माननीय न्यायालय में तरमीम करने का निर्णय दिनांक 13.06.2017 पारित कर दिया गया। नामान्तरण संख्या 119 की पुश्त पर अंकित नजरी तरमीम की मूल भावना व मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के म[illegible]को परिशिष्ठ "द" में दर्शाया गया है। उक्त प्रस्तावित तरमीम [illegible] रूप से प्रार्थीगण सोनाराम लादूराम व रामजीवन का [illegible] अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी ने तरमीम दुरूस्ती [illegible] किया है। उक्त रिर्पोट पर वकील प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति की जिस पर पुनः मौका रिर्पोट मंगाई गई। तहसीलदार गुड़ामालानी अपने पत्रांक 2394 दिनांक 19.10.2020 द्वारा पुनः रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण संख्या 11/2016 के निर्णय में अंकित तरमीम एवं वर्तमान राजस्व लट्ठा ट्रेस में तरमीम भिन्न है। ग्राम गुड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तकरण संख्या 119 की पुश्त पर उक्त खसरों की तरमीम का अक्ष अंकित किया हुआ है। इस तरमीम अक्ष एवं मौके पर कब्जा काश्त आंशिक रूप से भिन्न है। उपस्थित प्रार्थी एवं विप्रार्थी ने अपनी अपनी जमाबन्दी में धारित भूमि को पूर्ण कर खसरे की रकबा बरारी करते हुए मौके की स्थिति में आंशिक रूप से संशोधन कर तरमीम करने में अपनी सहमति प्रदान की है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी की सहमति अनुसार प्रस्तावित तरमीम का नक्शा संलग्न किया है।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों से बहस सुनी एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात तथा भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी की दोनों रिर्पोटों तथा इस न्यायालय के वाद संख्या 11/2016 के निर्णय अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। भूमि धारक की रिर्पोट अनुसार वर्तमान में नामान्तरणकरण संख्या 119 की पुश्त पर अंकित तरमीम व कब्जा काश्त में आंशिक अन्तर है। दोनों पक्षों ने नामान्तरणकरण संख्या 119 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार वर्तमान तरमीम शुद्ध किये जाने की सहमति दी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली तथा पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात तथा तहसीलदार की रिर्पोट के अध्ययन से न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 577 व 577/1 की तरमीम राजस्व कर्मियों द्वारा बेचाननामा के अनुरूप नहीं करते हुए उससे विपरीत करदी गई है। नामान्तरकरण संख्या 119 की पुश्त पर अंकित दर्शाए अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम में भिन्नता है। अतः प्राथीगर्ण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व विप्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 577 व 577/1 का राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे के अनुसार नामान्तकरण संख्या 119 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट कमांक 3189 दिनांक 25.09.2019 के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ "द" के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त गलत तरमीम के लिये दोषी कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट कमांक : 3189 दिनांक 25.09.2019 मय परिशिष्ठ "द" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11.1.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

हुक्म

11/01/21

पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों
के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों
के बहस सुनी गई। कोई कलम
के [illegible] जाकर खुले न्यायालय निर्णय सुनाया
सुनाया गया। पत्रावली
बाद तैयार दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ागौड़जी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:08:59 IST
Reason: SelfAttested